[22/3/2020]

प्रप[...]23]

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश इंदौर

518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड़ इंदौर–452 007
दूरभाष 0731–2432822 फैक्स : 0731–2536600
ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

परिपत्र

विषय :– कर्मकारों को कोविड–19 संकमण (महामारी) के दौरान वेतन एवं अन्य आवश्यक सुविधाऐं प्रदान करने बाबत्।

नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 (महामारी) के संकमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभिन्न कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से निम्न परिपत्रों द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी प्रतियॉं सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है –

1. परिपत्र कमांक 664–666 दिनांक 18.03.2020
2. 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/13999–14059 दिनांक 19.03.2020

उक्त उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के जिलों में जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत लॉक डाउन की घोषणा की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में कारखाने, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद किये गये हैं। जिनके कारण इनमें कार्यरत कर्मकार भी कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

अतः राज्य के श्रम आयुक्त की ओर से बंद कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों के नियोजकों तथा प्रबंधकों को निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. वर्तमान असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की उक्त कारण से अनुपस्थिति के कारण उनकी सेवा समाप्ति/छंटनी/सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जावेगा।

2. कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जावेगी।

3. यदि कोई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

4. ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों में जहॉं अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाए अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है, जैसे कि खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा/फार्मा निर्माण, मास्क व सेनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा–चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रोल, डीजल, गैस पम्प, खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयोग संबंधी आपूर्ति, होम पार्सल/टिफिन आदि सेवाए, तो इनमें कार्यरत कर्मकारों को उक्त संकमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे – मास्क, हेण्ड ग्लोव्ज, साबून और सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराये जायेंगे तथा किसी भी कर्मकार के बीमार होने पर उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।

5. सभी नियोजकों एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दण्डाधिकारी तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जावेगा।

संलग्न–उक्तानुसार

23/03/2020
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा छ)
मंत्रालय, भोपाल

कमांकः - 1/1/नवम/प्रवर्तन/2017/622-723 (2) इंदौर, दिनांक 23.03.2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. समस्त श्रम संगठन, औद्योगिक संगठन, व्यापारिक संगठन तथा वाणिज्यिक संगठन, म.प्र.।
3. समस्त कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के अधिभोगी/प्रबंधक।
4. समस्त उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक म.प्र. की ओर सूचनार्थ व समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
5. संचालक, समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं समस्त कारखानों को अवगत कराने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
6. समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि इसे समस्त राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित कराया जावे।
7. समस्त संभगायुक्त / जिला कलेक्टर म.प्र. की और अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/03/2020

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इंदौर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
श्रम विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट "ब"

अनुलग्नक 1

नागदा स्थित कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों द्वारा लॉकडाउन अवधि में किये गये वेतन भुगतान की जानकारी।

क्र	कारखाने का नाम	लॉक डाउन अवधि में वेतन प्रदाय करने की स्थिति
1	ग्रेसिम इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फायबर डिवीजन) बिरला ग्राम नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
2	ग्रेसिम इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड (केमिकल डिवीजन) बिरला ग्राम नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
3	लैक्सेस इण्डिया प्रा.लिमि. नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
4	गुलब्राण्डसन केटेलिस्ट प्रा.लिमि. नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
5	क्लेरियंट केमिकल्स इण्डिया लिमि. बिरलाग्राम नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
6	स्वास्तिक क्लोरो फिन एल.एल.पी. बिरलाग्राम नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
7	स्वास्तिक फार्मा केम भगतपुरी औद्यो.क्षेत्र नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
8	जगलक्ष्मी प्लास्टिक प्रा.लिमि बिरलाग्राम नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
9	नवदीप इण्डस्ट्रीज भगतपुरी औद्यो.क्षेत्र नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
10	जीत एंटर प्राईजेज़ नागदा	लॉक डाउन अवधि का वेतन भुगतान किया गया है।
11	डायमण्ड क्लोराइड्स बिरलाग्राम नागदा	माह मार्च 2020 का पूर्ण वेतन प्रदान किया गया है। अप्रेल 2020 एवं मई 2020 में उत्पादन कार्य बंद था। 31 मई से आंशिक रूप से कार्य प्रारंभ किया गया है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण माह अप्रेल 2020 का 50 प्रतिशत वेतन प्रदान किया गया है। माह मई 2020 से पूर्ण वेतन दिया जा रहा है।
12	नागदा केमिकल्स बिरलाग्राम नागदा	माह मार्च एवं अप्रेल 2020 का पूर्ण वेतन प्रदान किया गया है। कारखाने में उत्पादन कार्य पूर्ण रूप से बंद होने के कारण माह मई 2020 से आंशिक वेतन दिया जा रहा है।
13	गोयल एम.जी. गैसेस नागदा	लॉक डाउन अवधि में वेतन भुगतान किया गया है।

उपसंचालक,
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
... विभाग (शाखा ए)
मंत्रालय, भोपाल